अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आय-कर)

का.आ. 2816(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 9 सितंबर, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 994 (अ) दिनांक 9 सितंबर, 2014 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई वस्तुओं को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि स्तंभ (2) में उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी जिनके मुख्यालय संतभ (3) में उल्लिखित है, निम्नलिखित अनुसूची के सतंभ (4) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा स्तंभ (5) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इस अधिनियम की धारा 92 ग तथा 92 घ के प्रयोजनार्थ धारा 92 गक में यथा उल्लिखित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे :

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग
1	2	3	4	5
1.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
2.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
3.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

4.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
5.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
6.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
7.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा

				'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
8.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
9.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
10.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) , दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
11.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
12.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
13.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
14.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ

	अधिकारी) -2 (2) (1), दिल्ली		के भीतर आने वाले क्षेत्र	(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
15.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
16.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ

	अधिकारी)-2 (3), दिल्ली		के भीतर आने वाले क्षेत्र	(4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
17.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
18.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -2 (3) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			राजस्थान राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
19.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा

				'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
20.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (1) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
21.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -1 (1) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
22.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
23.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (2) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा

				वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
24.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (2) (2), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
25.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
26.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (3) (1), दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
27.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3 (3) (2),	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा

	दिल्ली			जिनके नाम संख्या, विशेष अंक/चिह्न तथा वर्णमाला 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
28.	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
29.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
30.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, सिक्किम, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
31.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
32.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
33.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती

				हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
34.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
35.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
36.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
37.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
38.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3) (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
39.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), (3) (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
40.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
41.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।

42.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
43.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
44.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
45.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
46.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
47.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
48.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, (3) (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
49.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा

			रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
50.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
51.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
52.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
53.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
54.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
55.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
56.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू

				होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
57.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (3), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' में से किसी एक से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
58.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
59.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
60.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (1), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
61.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
62.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
63.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (2), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा

			की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
64.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
65.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3), (1), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
66.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-4 (3), (2), मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड', संख्या, विशेष अंक/चिह्न में से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य है।
67.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
68.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
69.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

70.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
71.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
72.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), पुणे	पुणे	वृहत मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य के थाणे एवं रायगढ़ जिलों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
73.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी), अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
74.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
75.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
76.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
77.	उप/सहायक आयकर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर

	आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (1), बंगलौर		क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं तथा जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
78.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
79.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
80.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
81.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी

				जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
82.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
83.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
84.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (3) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
			गोवा राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं ।
85.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर

				निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
86.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
87.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
88.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
89.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) (1), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
90.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (2) (2), बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' संख्या, विशेष संख्या/चिह्न से शुरू होते हैं तथा जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

91.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
92.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) (1), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
93.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (3) (2), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
94.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
95.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
96.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1 (2) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
97.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
98.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
99.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
100.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

101.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (1) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
102.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-3 (2) चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा यानम प्रादेशिक क्षेत्र को छोड़कर पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
103.	अपर/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
104.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-1, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
105.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी)-2, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
106.	उप/सहायक आयकर आयुक्त (मूल्य निर्धारण अधिकारी) -3, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग जो कर निर्धारण अधिकारी जिनके कार्यालय स्तम्भ (4) में दर्शाए गए प्रादेशिक क्षेत्र में हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर कर निर्धारिती हैं अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

यह अधिसूचना 15–11–2014 से प्रभावी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 59/2014/फा. सं. 187/29/2014(आई.टी.ए. 1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक